संख्या- 56/2016/496/22-4-16-48(65)/11

प्रेषक,

आर0के0 दिवेदी,
विशेष कार्याधिकारी,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक-13 मई 2016

विषय- जनपद अमेठी में जिला कारागार के निर्माणार्थ भूमि की व्यवस्था हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-11342/नम-4/72, दिनांक-12 अप्रैल, 2016 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-02/2016/1329//22-4-15-48(65)/11, दिनांक 18.01.2016 तथा अनुवर्ती शासनादेश संख्या-07/2016/124//22-4-16-48(65)/11, दिनांक 25.01.2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नवसृजित जनपद अमेठी में जिला कारागार के निर्माण के लिए ग्राम-सकरांवा व पहाडपुर, परगना अमेठी, तहसील-गौरीगंज, जनपद अमेठी के 154 कृषकों की 25.688 हे0 भूमि, जिसकी लागत रू0 33,26,22,000/-(रूपया तैंतीस करोड छब्बीस लाख बाइस हजार मात्र) है, की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 5,00,00,000/- (रूपया पॉच करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय जनपद अमेठी में जिला कारागार के निर्माणार्थ भूमि की व्यवस्था हेतु अवशेष रू0 28,26,22,000/-(रूपया अट्ठाइस करोड छब्बीस लाख बाइस हजार मात्र) तथा निबंधन शुल्क के लिए व्यय हेतु रू0 7,41,940/- (रूपया सात लाख इक्तालीस हजार नौ सौ चालीस मात्र) अर्थात कुल रू0 28,33,63,940/- (रूपया अट्ठाइस करोड तैंतीस लाख तिरसठ हजार नौ सौ चालीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(3) लेबरसेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.08.2016 तक अवश्य कर लिया जाय।

3- प्रश्नगत योजनाओं की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 25.01.2016 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

4- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक " 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय- 800-अन्य व्यय-आयोजनेत्तर-09-नवसृजित जनपदों में कारागारों के निर्माण हेतु एक मुश्त व्यवस्था -24 वृहत् निर्माण कार्य" मद के नामे डाला जायेगा ओर उक्त लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक- 22.03.2016 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0 दिवेदी)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-56 /2016/496(1)/22-4-16-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) जिलाधिकारी, अमेठी।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0 दिवेदी)
विशेष कार्याधिकारी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in